भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2137

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सांपों के काटने से मौतें

2137. श्री आदित्य यादवः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्ष 2019 से उत्तर प्रदेश में औसतन लगभग 670 मौतें सांपों के काटने के कारण हर साल दर्ज की गई हैं, और 2024 तक यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कुल 3415 मौतों की रिपोर्ट की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सांप के काटने के मामलों की अधिकतर रिपोर्ट सोनभद्र, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव और ह्रदोई जिलों से आती है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार उच्च जोखिम वाले जिलों में जागरूकता बढ़ाने, विषरोधी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रही है; और

(ङ) सांप के काटने से होने वाली मृत्यु दर कम करने के लिए पूरे राज्य में लागू या प्रस्तावित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इससे जोड़े जाने वाले सामुदायिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है/प्रस्तावित किया गया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019-2024 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में सर्प-दंश से कुल 1325 मौतें दर्ज की गई हैं। सोनभद्र, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव और हरदोई में सर्प-दंश के दर्ज किए गए मामले और मृत्यु के मामले निम्नानुसार हैः

वर्ष 2019-2024 के दौरान सर्प-दंश के वर्षवार मामले			
क्र. सं.	**जिला**	**मामले**	**मृत्यु**
1	सोनभद्र	1972	16
2	फतेहपुर	726	4
3	बाराबंकी	2877	11
4	उन्नाव	1698	189
5	हरदोई	1709	61

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सर्पदंश के कारण मानवों में होने वाली रुग्णता, मृत्यु और उससे संबंधित जटिलताओं को कम करने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय सर्पदंश विषप्रभाव रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम लागू कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने राष्ट्रीय सर्पदंश विषप्रभाव की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्ययोजना (एनएपीएसई) शुरू की है। यह एक मार्गदर्शक दस्तावेज है जिसका उद्देश्य सांप के विष रोधी दवा की निरंतर उपलब्धता, क्षमता निर्माण, रेफरल तंत्र और जन शिक्षा के माध्यम से सर्पदंश से होने वाले विष के प्रभाव के जोखिम को व्यवस्थित रूप से कम करना है। विस्तृत जानकारी https://ncdc.mohfw.gov.in/wp-content/uploads/2024/07/NATIONAL-ACTION-PLAN-FOR-PREVENTION-AND-CONTROL-OF-SNAKEBITE-ENVENOMING-NAPSE.pdf
पर देखी जा सकती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, उत्तर प्रदेश को राज्य और जिला स्तर पर निम्नलिखित सर्पदंश रोकथाम एवं नियंत्रण क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान की जाती है:

· राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि पहल के अंतर्गत सर्प विष रोधी दवा का प्रावधान
· स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए निधि
· बैठकें, पर्यवेक्षण एवं निगरानी
· सूचना, शिक्षा एवं संचार
· प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों के लिए सर्पदंश के मामलों के प्रारंभिक प्रबंधन हेतु प्रोटोकॉल तैयार किया गया है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित किया गया है।

समुदायों में सर्पदंश के बारे में जागरूकता, रोकथाम और नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री और वीडियो का एक व्यापक तंत्र विकसित किया है। सामग्री में निम्न शामिल हैं:

- **सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण पर पुस्तिका:** हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध यह पुस्तिका सर्पदंश की रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों के लिए प्राथमिक उपचार के उपायों पर व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है।

- **सर्पदंश पर क्या करें और क्या न करें संबंधी पोस्टर:** आम जनता के उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए ये पोस्टर हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, जो सांप के काटने के जोखिम को कम करने और उचित अनुक्रिया सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक परामर्श देते हैं।

- **सर्पदंश के बारे में जागरूकता वाला 7 मिनट का वीडियो:** 10 क्षेत्रीय भाषाओं में बनाये गये इस वीडियो का उद्देश्य विभिन्न समुदायों को सर्पदंश की रोकथाम, प्राथमिक उपचार और समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के महत्व के बारे में प्रभावी ढंग से शिक्षित करना है।

- **सर्पदंश की हेल्पलाइन नंबर (15400):** यह हेल्पलाइन पांच राज्यों (आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, दिल्ली, मध्य प्रदेश और असम) के लिए शुरू की गई है।

- देश भर के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किए जाते हैं ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सकें, अपने सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कर सकें और सर्पदंश के मामलों के प्रबंधन में बेहतरी के अवसरों का पता लगा सकें।

आईईसी का लिंक सार्वजनिक रूप से https://ncdc.mohfw.gov.in/snakebite/ पर उपलब्ध है।

*****